

क्रमांक:-एफ.4()पी.पी./तक-2/दिशा निर्देश/2020-21/ 26441-592

दिनांक : 24/8/2020

संशोधित-आदेश

कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 3963-4180 दिनांक 14.05.2020 द्वारा वर्ष 2020-21 में पौध संरक्षण यंत्र/कीटनाशी/खरपतवारनाशी रसायन वितरण कार्यक्रम-क्रियान्विति हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसके बिन्दु संख्या 18 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

“ कृषकों द्वारा फाल आर्मीवर्म कीट नियंत्रण हेतु पौध संरक्षण रसायन क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस से कृषक हिस्सा राशि जमा कराकर प्राप्त किये जायेंगे। कृषक द्वारा प्राप्त किये गये पौध संरक्षण रसायन का उपयोग करने पर संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संबंधित परियोजना /उप/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा समिति/संस्था को अनुदान की राशि का भुगतान ऑन-लाईन किया जावेगा”।

यह आदेश केवल फाल आर्मीवर्म कीट नियंत्रण हेतु कृषको को अनुदान पर वितरित पौध संरक्षण रसायनों के लिए ही लागू होगा। अन्य कीट व्याधियों के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

Dr
24/8/2020

(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक:-एफ.4()पी.पी./तक-2/दिशा निर्देश/2020-21/ 26441-592

दिनांक : 24/08/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद.....।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) मु.।
5. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/गु.नि./ज.उ.प्र./आइसोपाम/आकेविवाई)
6. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड।
7. परियोजना निदेशक सीएडी, कोटा।
8. समस्त उप निदेशक कृषि (वि.) जि.प/आईजीएनपी बीकानेर।
9. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)।
10. जिला विस्तार अधिकारी कोटा/बून्दी/सुल्तानपुर/मोहनगढ़/बज्जू/बीकमपुर।
11. उप निदेशक (एसीपी) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. आरक्षी पंजिका।

Dr
24/8/2020

(डॉ. सुवा लाल जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (पौ.सं.)